

बिहार सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

मानसिक रूप से निःशक्त / रुग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विशेष गृह 'आसरा' के संचालन हेतु प्रस्तावों का आमंत्रण

मानसिक रूप से निःशक्त महिलाओं एवं बालिकाओं की समुचित देखरेख, संरक्षण, चिकित्सीय देखभाल, काउन्सिलिंग एवं शिक्षण-प्रशिक्षण के माध्यम से पुर्नवासित करने के लिए पटना में 50 आवासिनों की क्षमतायुक्त तीन विशेष गृह 'आसरा' के संचालन के लिए प्रतिष्ठित एवं निबंधित गैर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. स्वयंसेवी संस्थाओं हेतु अनिवार्य अर्हताएँ / शर्तें :-

- (i) **संस्था का अस्तित्व:-**संस्था सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-51 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय / निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा-52 या दिव्यांगता कार्यालय से निबंधित अथवा राष्ट्रीय न्यास या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निबंधित होना चाहिए।
- (ii) **दर्पण पोर्टल पर निबंधन:-**संस्था भारत सरकार के नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर निबंधित होना चाहिए।
- (iii) **संस्था के MOA:-**संस्था के MOA (Memorandum of Association) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर भेजना होगा। साथ ही संस्था के Governing Body के सदस्यों की सूची/विवरणी (नाम, पदनाम, पता आदि) उपलब्ध करानी होगी।
- (iv) **अंकेक्षण प्रतिवेदन:-**संस्था का प्रति वित्तीय वर्ष औसत टर्नओवर न्यूनतम रु० 80.00 लाख हो तथा इस हेतु पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का CA द्वारा किये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन को संलग्न करना होगा।
- (v) **आयकर रिटर्न्स:-**संस्था आयकर अधिनियम के तहत निबंधित है या नहीं ? संस्था को विगत तीन वित्तीय वर्षों यथा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करनी होगी।
- (vi) **वार्षिक प्रतिवेदन:-**संस्था को पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
- (vii) **पैन कार्ड:-**पैन कार्ड, जो संस्था के नाम से हो, संलग्न करना होगा।
- (viii) **मानसिक दिव्यांगता प्रक्षेत्र में अनुभव का प्रमाण-पत्र:-** आवेदक संस्था के पास मानसिक दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए विशेष गृह/संस्था के संचालन के 03 वर्षों का अनुभव का प्रमाण वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में होना चाहिए। संस्था द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में संलग्न किये जा रहे अनुभव संबंधित प्रमाण-पत्र में विशेष गृह / संस्था संचालन अवधि एवं वर्षवार लाभुकों की संख्या अंकित करना होगा।
- (ix) **आधारभूत संरचना:-** संस्था के पास आधारभूत संरचना के रूप में मकान (अपना अथवा किराये का) उपलब्ध हो। अपना भवन/मकान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जा

सकती है। मकान दिव्यांगो हेतु बाधामुक्त (Barrier Free) होना चाहिए एवं न्यूनतम 3000 वर्गफीट क्षेत्रफल में फैला होना चाहिए। किराये के मकान की स्थिति में मकान का एकरारनामा/किरायानामा की प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर भेजा जाना होगा। संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये मकान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विवरणी संलग्न करना आवश्यक होगा।

- (x) **प्रशिक्षित कर्मी:**— संस्था के पास प्रशिक्षित कर्मी विशेष तौर पर अधीक्षक, कॉउन्सलर, परिवीक्षा अधिकारी, विशेष प्रशिक्षक, ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट आदि वांछित योग्यता के अनुरूप निर्धारित संख्या में उपलब्ध हों तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रशिक्षित होने चाहिए।

नोट:—उपरोक्त कंडिका i से x में उल्लेखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है। सभी संलग्न दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होने चाहिए।

2. अन्य शर्तें :—

- (i) विगत वर्षों में केन्द्र / राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को प्राथमिकता दी जायेगी। इस संबंध में पूर्व में प्राप्त अनुदान की विवरणी उपलब्ध कराना होगा, जो संस्थान द्वारा सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से निर्गत हो।
- (ii) वैसे संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके पास Counselling facilities, Health Tie-up, Vocational Training, Career Counselling आदि के साथ-साथ आवासितों के Hobbies Development एवं Sports Facilities की सुविधा उपलब्ध हो।
- (iii) गृह में आवासित लाभुकों को यथासंभव आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी योजना से जोड़ना आवश्यक होगा।
- (iv) संस्थान आसरा गृह में सुरक्षित तथा सुगम्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।
- (v) आवासित लाभुकों को यथासंभव अपने परिजनों के साथ पुनः एकीकृत करने का प्रयास करेंगे।
- (vi) पुनर्वासित लाभुकों का नियमित अनुश्रवण हो ताकि वे पुनः अलगाव अथवा निराश्रित जीवन जीने के लिए बाध्य न हो।
- (vii) गृह प्रबंधन समिति को कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले एजेंसी के चयन में सहयोग करने के साथ-साथ लाभुकों को वित्तीय रूप से स्वावलंबित बनाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा।
- (viii) गृह संचालन एवं आवासित लाभुकों के लिए ठोस कार्ययोजना वाले लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ix) चयनित संस्था द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जायेगे :—
 - क. लाभुकों को आवासीय, भोजन, कपड़े एवं अन्य आवश्यक जरूरतों की पूर्ति करना।
 - ख. गृह में प्रवेश / नामांकन के दौरान आवासिनों या लाभुकों का स्क्रीनिंग करना।
 - ग. जीवन में किसी भी अवसर पर किसी प्रकार की हिंसा से प्रभावित आवासिनों / लाभुकों तथा उनके परिवारजनों की काउंसिलिंग करना।
 - घ. आवासिनों / लाभुकों को स्वतंत्र जीवन अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
 - ङ. गृह के कर्मियों को आवासिनों के साथ अच्छा व्यवहार करवाने के लिए संवेदनशील बनाना।

- च. इसके अतिरिक्त अन्य कार्य नियमानुसार / निदेशानुसार एवं समय-समय पर निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में किये जायेगे।
- छ. वर्तमान मार्गदर्शिका में वर्तमान में दिये गये निर्देशों में यदि भविष्य में संशोधन किये जाते हैं, तब चयनित संस्थान को उक्त के आलोक में कार्रवाई / सेवा प्रदान करनी होगी।

3. **शपथ पत्र:**—संस्था को न्यायालय / सरकार द्वारा बेदखल / ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है, इस आशय का शपथ-पत्र (मूलप्रति में) देना होगा। शपथ-पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि का होना चाहिए।
4. **आवेदन की प्राप्ति:**—आवेदक संस्थाओं के आवेदन सीलबंद लिफाफे में सिर्फ स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक से ही स्वीकार्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन तथा निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन प्रकाशन के 21 दिनों के अन्दर वांछित अर्हता के साथ पूर्ण प्रस्ताव (पृष्ठ विवरणी एवं अभिलेख सहित) समर्पित करना होगा। अपूर्ण / अधूरे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रथम दृष्टव्या में ही रद्द समझा जायेगा।
5. **आवेदन के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण:**—आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज, स्वच्छ एवं स्पष्ट मुद्रित होने चाहिए तथा यह संस्था के सचिव या अध्यक्ष द्वारा मुहर सहित स्वहस्ताक्षरित होगा।
6. दस्तावेजों से संबंधित संलग्न चेकलिस्ट पूर्ण (Fill up) किया जाय। सभी दस्तावेजों को अनुक्रमवार रखने तथा स्थायी पताकाकृत (Indexing & Flagging) भी करना अनिवार्य होगा।
7. विज्ञापन रद्द करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। विभागीय चयन समिति के माध्यम से उपर्युक्त संस्था का चयन किया जायेगा। समर्पित प्रस्ताव के सभी पृष्ठ स्वअभिप्रमाणित हो। जाँच के दौरान सत्यापन हेतु मूलप्रति को प्रस्तुत करना होगा।
8. आसरा गृह के संचालन हेतु संस्था का चयन वर्तमान में एक वर्ष के लिए किया जायेगा तथा संस्था का अवधि विस्तार उसके प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकेगा।
9. आवेदक संस्था को निदेशालय अंतर्गत वर्तमान में तीन स्थानों पर संचालित आसरा गृहों (1. आसरा गृह, पटेल नगर, 2. आसरा गृह, राजीव नगर एवं 3. आसरा गृह, केशरी नगर) के लिए अलग-अलग आवेदन समर्पित करना होगा।

पता:—निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना-800001।

कर्मियों की योग्यता:—

क्र०	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं०	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभवन	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रु० में)	वर्षिक प्रस्ताविक राशि (रु० में)
1.	अधीक्षक (प्रभारी)	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	I. स्नातकोत्तर / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र अथवा II. बैचलर इन मेंटल	अधीक्षक / समकक्ष के पद पर क्रमांक- I एवं II के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं क्रमांक- IV लिए न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव।	25,000	3,00,000

क्र०	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं०	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभवन	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रु० में)	वर्षिक प्रस्ताविक राशि (रु० में)
				रिटारडेशन अथवा III. मानसिक मंदता में बी०एड० डिप्लोमा			
2.	काउन्सलर	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	I. स्नातकोत्तर / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र अथवा II. बैचलर इन मेटल रिटारडेशन अथवा III. मानसिक मंदता में बी०एड० डिप्लोमा IV. पी०जी० डिप्लोमा (क्लीनिकल साइकोलॉजी)	क्रमांक I, II एवं III के लिए न्यूनतम 3 वर्ष एवं क्रमांक-iv के लिए एक वर्ष का अनुभव ।	17,500	2,10,000
3.	परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / मामला कार्यकर्ता (प्रोवेशन ऑफिसर)	1	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	(i) स्नातकोत्तर / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र अथवा (ii) बैचलर इन मेटल रिटारडेशन अथवा (iii) मानसिक मंदता में बी०एड० डिप्लोमा	परिवीक्षा अधिकारी से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव ।	17,500	2,10,000
4.	गृह माता (हाउस मदर)	2	न्यूनतम 25 वर्ष अधिकतम 55 वर्ष	1. स्नातक (प्रतिष्ठा) / मनोविज्ञान / समाजशास्त्र	गृहपति से संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव	11,000	2,64,000
5.	स्पेशल एजुकएटर (शिक्षक)	2	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	1. स्पेशल एजुकेशन (एम०आर० में बी०एड०) अथवा	क्रमांक-I निःशक्त बच्चों / व्यक्तियों के साथ कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्षों का कार्य	17,500	4,20,000

पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं०	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रु० में)	वर्षिक प्रस्ताविक राशि (रु० में)
			2. स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा	अनुभव एवं क्रमांक-II में 5 वर्षों का अनुभव ।		
6. ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट	2	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	1. ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट में स्नातक 2. ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट में डिप्लोमा ।	क्रमांक-I के लिए 2 वर्ष एवं क्रमांक-II के लिए 5 वर्ष का अनुभव ।	17,500	4,20,000
7. चिकित्सक (अंशकालीन) (सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रत्येक भिजिट दो घंटे के लिए होगा ।	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम०बी०बी०एस० की डिग्री ।	2 वर्षों का कार्य का अनुभव ।	1,500 निरीक्षण (कुल: 8 निरीक्षण) 12,000	1,44,000
8. मनोचिकित्सक (अंशकालीन) (एक सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रत्येक विजिट तीन घंटे के लिए होगा ।	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से मनोचिकित्सक में स्नातकोत्तर (MD) / डिप्लोमा (DPM)	MD में एक वर्ष का एवं DPM में 2 वर्षों का कार्य का अनुभव ।	2,000 निरीक्षण (कुल: 8 निरीक्षण) 16,000	1,92,000
9. ए०एन०एम०	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	नर्सिंग से (जी०एन०एम०) डिप्लोमा	किसी सरकारी अथवा Indian Nursing Council से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नर्सिंग क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र	12,000	1,44,000
10. लेखापाल सह भंडारपाल	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	बी० कॉम की डिग्री	लेखा क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव । कम्प्यूटर का ज्ञान ।	15,000	1,80,000

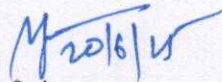
२५

✓

क्र०	पदनाम	प्रति गृह प्रस्तावित पदों की सं०	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	प्रस्तावित मासिक मानदेय (रु० में)	वर्षिक प्रस्ताविक राशि (रु० में)
11.	हाउस मेड (दाई / केयर टेकर)	4	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव	7,500	3,60,000
12.	रसोईया	1	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	खाना बनाने का 3 वर्षों का अनुभव ।	7,500	90,000
13.	हेल्पर	2	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	खाना बनाने एवं महिलाओं, बलिकाओं के देख-रेख कार्य 3 वर्षों का अनुभव	6,000	1,44,000
14.	सुरक्षा प्रहरी	3	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का 3 वर्षों का अनुभव	7,500	2,70,000
15.	अनुसेवक (Peon)	2	न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष	मैट्रिक उत्तीर्ण	संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षों का अनुभव	7,500	1,80,000
16.	धोबी	—	—	—	—	—	—
कुल योग:-		25	—	—	—	—	35,28,000

स्वयंसेवी संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html> पर उपलब्ध मार्गदर्शिका के आलोक में मापदंडों एवं योग्यता के आधार पर कर्मियों की सेवा विशेष गृह हेतु उपलब्ध करानी होगी।

विशेष गृह का संचालन विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।



निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

०५